सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-232
22/05/2017

मुख्यमंत्री ने अग्निकाण्ड की घटनाओं की रोकथाम हेतु समीक्षा बैठक की

पटना, 22 मई 2017 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग स्थित विमर्श सभाकक्ष में राज्य में हो रहे अग्निकाण्ड की घटनाओं की रोकथाम हेतु समीक्षा बैठक की। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आग लग जाने पर दमकल भेजकर आग बूझा देना और राहत वितरण कर देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटनायें न हो, इसके लिये तंत्र को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि बड़े भवनों में ज्यादातर आग शॉट सर्किट के कारण लगती है। उन्होंने कहा कि उन्हें निजी एवं सरकारी दोनों भवनों की चिन्ता है, इसके लिये तंत्र को स्पीडअप करना होगा। उन्होंने अग्निशमन, नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, भवन निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि वे इसकी रोकथाम के लिये अविलंब एक्शन प्लान तैयार करें। उन्होंने कहा कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बढ़ते जा रहे हैं। बिल्डिंग बायोलॉज में फायर सेफ्टी और इसकी नियमित जॉच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिये पर्याप्त मशीनरी को विकसित करना होगा और सिस्टम को बिल्डअप करना होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के निर्माताओं से फायर सेफ्टी के संबंध में किये गये उपायों के संबंध में स्वप्रमाणित प्रतिवेदन प्राप्त करें और इसकी नियमित जॉच भी करायी जाय। उन्होंने कहा कि निजी भवनों में रहने वाले लेागों को भी फायर सेफ्टी के संबंध में जागरूक करना होगा।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ब्यासजी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ0 उदय कांत मिश्र, प्रधान सचिव गृह श्री आमिर सुबहानी, महानिदेशक अग्निशमन सेवायें श्री पी0एन0 राय, प्रधान सचिव स्वास्थ्य एवं शिक्षा श्री आर0के0 महाजन, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव भवन निर्माण श्री अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित आपदा प्रबंधन विभाग के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

******